

Office of the Principal Swami Vivekanand Govt College
Susner Dist-Agar Malwa MP

Phone/Fax No. 07361-233449 Email ID hesvgcsusshg@mp.gov.in/guptagirish1211@gmail.com

Date: 29.04.2021

CERTIFICATE

This is certified that Scholarship and Educational incentive
Paid/Sanctioned in Year 2015-16 are below-

SN	Name of Scheme	No. of Strength	Amount in Rs.
1	POSTMATRIC SCHOLARSHIP	235	831752
2	GAON KI BETI	126	629000
3	TRANSPORT ALLOWANCE TO GIRLS	139	138150
4	VIKRAMADITYA SCHEME	06	9826

Enclosed -

1. Sanction Order


29/4/21
PRINCIPAL
प्राचार्य

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (अमर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1035617/

आगर मालवा, दिनांक :-19/01/2016

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (**SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC)**)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलम सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, सहायक संचालक, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, जिला आगर मालवा द्वारा, बजट उपलब्ध होने पर तथा institution से छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी scholarship portal पर ऑनलाइन प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से संस्था एवं छात्र/छात्राओं को scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2015-16

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 83

कुल राशि (रुपये में)

:- 231970

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा। संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

Principal / Director / Dean

प्राचार्य

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.





Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1035747/

आगर मालवा , दिनांक :-19/01/2016

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, सहायक संचालक, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, जिला आगर मालवा द्वारा, बजट उपलब्ध होने पर तथा institution से छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी scholarship portal पर ऑनलाइन प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से संस्था एवं छात्र/छात्राओं को scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2015-16

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 84

कुल राशि (रुपये में)

:- 255840

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

Principal / Director / Dean

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.





Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1040560/

आगर मालवा , दिनांक :-06/02/2016

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, सहायक संचालक, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, जिला आगर मालवा द्वारा, बजट उपलब्ध होने पर तथा institution से छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी scholarship portal पर ऑनलाइन प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से संस्था एवं छात्र/छात्राओं को scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2015-16

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 1

कुल राशि (रुपये में)

:- 2990

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उतीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेष्टित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

Principal / Director / Dean

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.





Nodal Office: Swamy Vivekanand Govt College Susner

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1034978

आगर-मालवा, दिनांक :-11/01/2016

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी।

शैक्षणिक सत्र : 2015-16

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 39

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 103500 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 85279

कुल : 188779

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner


Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/8

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 19/03/2021


 प्रभार्य
 स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
 (सुनार जिला (आगर-मालवा) म.प्र.)



Nodal Office: Swamy Vivekanand Govt College Susner

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1034980

आगर मालवा , दिनांक :-11/01/2016

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2015-16

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 22

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 79200 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 42517

कुल : 121717

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईगेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator


Designation: District Co-Ordinator



Page 1/7

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 19/03/2021

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Nodal Office: Swamy Vivekanand Govt College Susner

आगर मालवा, दिनांक :-11/01/2016

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1034945

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी।

शैक्षणिक सत्र : 2015-16

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 4

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 10800

2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 8854

कुल : 19654

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत) संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 19/03/2021

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Nodal Office: Swamy Vivekanand Govt College Susner

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1034972

आगर मालवा , दिनांक :-11/01/2016

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2015-16

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 2

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 7200 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 3602

कुल : 10802

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे | यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उतीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal, Printed on 19/03/2021

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

कार्यालय प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर, जिला-आगर मालवा (म.प्र.)

क्र. 439-440 / 2015 फोन/फैक्स-07361-233449 Email-hesvgcsusshg-mp@mp.gov.in/damkedc1955@gmail.com

सुसनेर दिनांक 07-10-15

कार्यालयीन आदेश

महाविद्यालय में सत्र 2015-16 में अध्ययनरत् नवीन/नवीनीकरण सामान्य/पिछड़ा वर्ग की गाँव की बेटा योजना की छात्रवृत्ति संलग्न सूची अनुसार स्वीकृत की जाकर उपकोषालय से आहरित कर संबंधित छात्राओ को भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

पृ. क्र. 439-440
प्रतिलिपि:-

1. उपकोषालय अधिकारी सुसनेर।
2. लेखापाल शासकीय महाविद्यालय सुसनेर।

Ver. no 68/14-1015
Paid & Cancelled

Principal

(डॉ. डी. सी. दामके)
प्रभारी प्राचार्य

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

सुसनेर दिनांक 7-10-15

(डॉ. डी. सी. दामके)
प्रभारी प्राचार्य

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

कार्यालय प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर, जिला-आगर मालवा (म.प्र.)

क्र. 439-440 / 2015 फ़ोन-07361-233449 Email-hesvgcsusshg-mp@mp.gov.in/damkedc1955@gmail.com

सुसनेर दिनांक 7-10-15

कार्यालयीन आदेश

महाविद्यालय में सत्र 2015-16 में अध्ययनरत् नवीन/नवीनीकरण अनुसूचित जाति की गाँव की बेटा योजना की छात्रवृत्ति संलग्न सूची अनुसार स्वीकृत की जाकर उपकोषालय से आहरित कर संबंधित छात्राओ को भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

(डॉ. डी. सी. दामके)
प्रभारी प्राचार्य

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

सुसनेर दिनांक 7-10-15

पृ. क्र. 439-440
प्रतिलिपि:-

1. उपकोषालय अधिकारी सुसनेर।
2. लेखापाल शासकीय महाविद्यालय सुसनेर।

GOVT
Voucher No. 69
Dated 14-10-15

Paid & Cancelled

(डॉ. डी. सी. दामके)
प्रभारी प्राचार्य

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

कार्यालय प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर, जिला-शाजापुर (म.प्र.)

क्र. 554-555 / 2015 फोन-07361-233449 Email-hesvgcsusshg-mp@mp.gov.in/dakedc1955@gmail.com

सुसनेर दिनांक

4-12-15

कार्यालयीन आदेश

महाविद्यालय में सत्र 2015-16 में अध्ययनरत् नवीन/नवीनीकरण सामान्य/पिछड़ा वर्ग की छात्रा आवागमन सुविधा की राशि संलग्न सूची अनुसार स्वीकृत की जाकर उपकोषालय से आहरित कर संबंधित छात्राओं को भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

पृ. क्र. 554-555
प्रतिलिपि:-

1. उपकोषालय अधिकारी सुसनेर।
2. लेखापाल शासकीय महाविद्यालय सुसनेर।

(डॉ. डी. सी. दामके)

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (शाजापुर-म.प्र.)

सुसनेर दिनांक

4-12-15

GOVT
Voucher No 86
Dated 4-12-15
Paid & Cancelled
Principal

POST

(डॉ. डी. सी. दामके)

प्रभारी प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (शाजापुर-म.प्र.)

कार्यालय प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर, जिला-शाजापुर (म.प्र.)

क्रं. 554-555 / 2015

सुसनेर दिनांक

4/12/15

कार्यालयीन आदेश

महाविद्यालय में सत्र 2015-16 में अध्ययनरत् नवीन/नवीनीकरण अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रा आवागमन सुविधा की राशि संलग्न सूची अनुसार स्वीकृत की जमकर उपकोषालय से आहरित कर संबंधित छात्राओ को भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

पृ. क्रं.

प्रतिलिपि:-

1. उपकोषालय अधिकारी सुसनेर।
2. लेखापाल शासकीय महाविद्यालय सुसनेर।

GOVT
V. No. 0
Dated 4/12/15
Paid & Cancelled
Principal

(डॉ. डी. सी. दामके)

प्रभार प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (शाजापुर-मालवा) म.प्र.

सुसनेर दिनांक

4/12/15

(डॉ. डी. सी. दामके)

प्रभार प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (शाजापुर-मालवा) म.प्र.

कार्यालय प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द शासकीय महाविद्यालय सुसनेर,
जिला-आगर मालवा (म.प्र.)

फोन/फैक्स-07361-233449 Email-hesvgcsusshg-mp@mp.gov.in/damkedc1955@gmail.com

A-14,316

कार्यालयीन आदेश

महाविद्यालय में सत्र 2015-16 में अध्ययनरत नवीन/नवीनीकरण सामान्य/पिछड़ा वर्ग की आवागमन सुविधा योजना की छात्रवृत्ति संलग्न सूची अनुसार स्वीकृत की जाकर उपकोषालय से आहरित कर संबंधित छात्राओं को भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रतिलिपि:-

1. उपकोषालय अधिकारी सुसनेर।
2. लेखापाल शासकीय महाविद्यालय सुसनेर

(डॉ. डी. सी. दामके)

प्रभारी प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

A-14,3-16

Ver-116/16-3-16
Paid & Cancelled

Principals

(डॉ. डी. सी. दामके)

प्रभारी प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

कार्यालय प्राचार्य
 स्वा. वि. शासकीय कला / वाणिज्य / विज्ञान महाविद्यालय
 सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

क्रमांक १ /

दिनांक 22/9/18

कार्यालयीन कार्रवाई

महाविद्यालय में कक्षागत विज्ञान छात्रों की वरिष्ठ
 2018-16 की विद्युत्कारिता योजना (दाखल) की 2. विद्युत्कारिता
 की पाठ्य उपरोक्त योजना के अंतर्गत कक्षागत विद्युत्कारिता से ई-पैकेट
 के माध्यम से छात्रों को नकद राशि में प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त
 की जाती है।

[Signature]

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय
 सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

०८

क्रमांक १ /
 22/9/18

(1) उपरोक्त योजना अंतर्गामी सुसनेर जिला आगर-मालवा से
 नकद राशि में प्राप्त

GOVT
 Voucher No. 57
 Dated 28/9/18
 Paid & Cancelled

[Signature]

०८

[Signature]

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय
 सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.